न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— धारा सिंह मीणा, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः—48/2020/अपील

रामकोरी पुत्री स्व0 गीदाराम पत्नी श्री नानूराम जाति बलाई निवासिनी हमीरपुरा तहसील व जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1. घीसाराम पुत्र स्व0 गीदाराम
2. रामचन्द्र पुत्र स्व0 गीदाराम
3. सुरज्ञान पुत्री स्व0 गीदाराम पत्नी श्री नाथूराम जाति बलाई निवासिनी हमीरपुरा तहसील व जिला सीकर।
4. सुरेश पुत्र श्यानादेवी पुत्री स्व0 गीदाराम
5. श्रवण पुत्र श्यानादेवी पुत्री स्व0 गीदाराम
6. विमला पुत्री श्यानादेवी पुत्री स्व0 गीदाराम
7. सुशीला पुत्री श्यानादेवी पुत्री स्व0 गीदाराम
8. सुरेन्द्र पुत्र स्व0 सन्तोष पुत्री स्व0 गीदाराम
9. नरेश पुत्र स्व0 सन्तोष पुत्री स्व0गीदाराम
10. पींकी पुत्र स्व0 सन्तोष पुत्री स्व0 गीदाराम
11. सुमित्रा पुत्री स्व0 सन्तोष पुत्री स्व गीदाराम

    समस्त जाति बलाई निवासीगण हमीरपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
12. तहसीलदार सीकर वर्तमान तहसीलदार धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व नामांतकरण सं. 7 दिनांक 03.10.1991 द्वारा तहसीलदार सीकर वर्तमान तहसील धोद

वकील अपीलांट श्री बनवारीलाल बरवड़
वकील रेस्पोडेंट श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा

निर्णय **दिनांकः—09.09.2021**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हमीरपुरा पटवार हल्का सांवलोदा पुरोहितान तहसील सीकर वर्तमान तहसील धोद जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 80 रकबा 3.01 हैक्टर अवस्थित है। वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलार्थी एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व स्व0 श्याना देवी व स्व0 सन्तोष की पैतृक अविभाजित कृषि भूमियां है। उक्त कृषि भूमियां पैतृक होने के कारण वर्णित कृषि भूमि में 1/6 हक, हिस्सा, अपीलार्थी का 1/6, 1/6 हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का, 1/6 हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 लगायत 7 की माता श्याना देवी तथा 1/6 हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 लगायत 11 की माता संतोष देवी का हक, हिस्सा एवं कब्जा काश्त रहा है। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात् अपीलांट के भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा अपीलार्थी की माता पतासी देवी ने बाला बाला साजिश करके उपरोक्त वर्णित भूमियों का 1/3, 1/3 हक हिस्से का नामांतरकरण संख्या 7 दिनांक 03.10.1991 अधीनस्थ तहसीलदार सीकर वर्तमान तहसील धोद से साजिश करके अपने नाम करवा लिया। उपरोक्त नामांतरकरण के

अति. जिला कलक्टर, सीकर

आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 गलत खातेदारी के आधार पर काबिज है। अपीलांट की माता पतासी देवी का स्वर्गवास हो चुका है उसके वारिसान अपीलांट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ता 11 है। अधिनस्थ तहसीलदार ने गीदाराम के समस्त वारिसों की जांच किये बिना गलत रूप से 1/3, 1/3 हक, हिस्से का नामांतरकरण खोल दिया गया। अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा उपरोक्त नामांतरकरण संख्या 7 को भरते समय गीदाराम के विधिक वारिसों की जांच नहीं की गई। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के बताए अनुसार पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का की साजिशी पूर्वक जांच पर विश्वास करके उक्त नामांतरकरण स्वीकार करने में भारी भूल की है। जबकि गीदाराम के निम्नलिखित वारिसान है:–

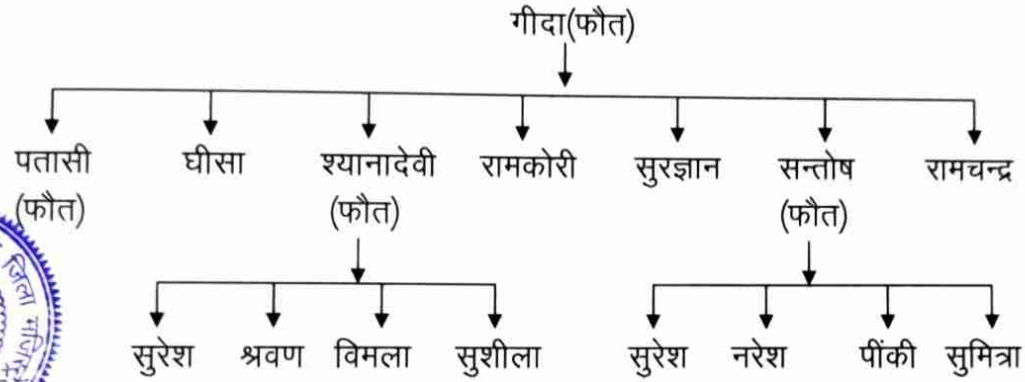

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों में हिन्दू पुत्र व पुत्रियों को अपने पिता की सम्पति में बराबर बराबर हक, अधिकार मिलता है, परन्तु अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा उक्त नामांतरकरण केवल मात्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 तथा अपीलार्थी की माता द्वारा गलत तथ्य बताकर गलत रूप से नामांतरकरण अपने नाम भरवा लिया गया, नामांतरकरण कब्जे की जांच किये बिना तथा वारिसों की जांच किये बिना तस्दीक किया गया है। अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा उक्त नामांतरकरण भरने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना व सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया। उपरोक्त नामांतरकरण कल्पना व कयास के आधार पर मजमें आम में नहीं भरा गया है। अपीलाधीन नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व तथ्यों का सही विवेचन, विश्लेषण व मूल्यांकन नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त अपीलाधीन नामांतकरण निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ तहसीलदार सीकर वर्तमान तहसील धोद द्वारा गलत रूप से भरा गया नामांतकरण संख्या 7 दिनांक 03.10.1991 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो. को नोटिस जारी किये गये। रेस्पो. संख्या 1 व 2 की और से वकील श्री जितेन्द्र शर्मा उपस्थित आये। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार गीदा फौत होने पर वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार गीदा फौत होने पर उसके स्थान पर घीसाराम रामचन्द्र पि0 गीदा मु0 पतासी बेवाह गीदा ब.हि.बराबर कौम बलाई सा.देह खातेदार के नाम तस्दीक किया गया है। अधिवक्ता रेस्पो. ने दौराने बहस किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहीर नहीं की। अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करने से यह जाहीर है कि विरासत का नामान्तकरण (चुनौतिग्रस्त) दर्ज करते समय अपीलांट का नाम नामान्तकरण में सम्मिलित नहीं किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 में यह प्रावधान है कि काश्तकार की निर्वसीयतीय मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकार पर्सनल लॉ के अनुसार निर्धारित किया जायेगा व तद्नुसार अभिलेख में दर्ज किया जायेगा। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक हिन्दु पुरूष के पुत्रों तथा पुत्रियों को समान दर्जा प्राप्त है। इस प्रकार अपीलांट को मृतक खातेदार की पैतृक सम्पति में

अति. जिला कलक्टर, सीकर

अपना हक प्राप्त करने का अधिकार है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण संख्या 7 दिनांक 03.10.1991 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार धोद को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तकरण के सम्बंध में मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच की जाकर नियमानुसार पुनः नामान्तकरण तस्दीक करें।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धारा सिंह मीणा)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर